

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/20-21/14 /SS76

दिनांक: 10.11.2020

सेवा में,
श्री गुरुदयाल सिंह
पुत्र श्री ऐवरन सिंह
निवासी : ग्राम भकावा परगना कावर
पोस्ट रसूलपुर
तहसील बहेड़ी जिला बरेली

मो० 7409 115 453

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 16.10.2020 के संबंध में


महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 16.10.2020, क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को पावरग्रिड बरेली उपकेन्द्र के माध्यम से दिनांक 02.11.2020 को प्राप्त हुआ है। मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	प्रार्थी के खेत सं० 377 मि० रक्बा 1.062 हे० स्थित ग्राम भकावा परगना कावर तहसील बहेड़ी जिला बरेली में विद्युत् विभाग द्वारा बिजली के पोल व तार कब कब लगाये गये थे की सत्यापित प्रति।	मांगी गयी जानकारी अति-विस्तृत एवं अस्पष्ट है और इस तरह की जानकारी संकलित नहीं है।
02.	विद्युत् विभाग द्वारा ग्राम भकावा परगना कावर तहसील बहेड़ी जिला बरेली के किन किन व्यक्तियों को कितना कितना मुआवजा और कब दिया गया की सत्यापित प्रति।	लाइन निर्माण के दौरान हुई क्षति हेतु प्रत्येक किसान को प्राप्त मुआवजा राशि, तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० - 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,


[राणा प्रताप]

महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ